महत्वपूर्ण / आवश्यक

सत्यमेव जयते

उत्तराखण्ड सूचना आयोग

सैक्टर 1, सी–30 डिफैंस कालोनी, देहरादून
दूरभाष : 0135 – 2666778, 2666779 ईमेल : uicddn@gmail.com

सख्या : /उ.सू.आ./2011 दिनांक : नवम्बर 28, 2011

1. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन
2. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमांऊ मण्डल, देहरादून / नैनीताल
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड
4. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड
5. समस्त प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड

विषय : लोक सूचना अधिकारियों द्वारा अधिनियम के प्राविधानों का अनुपालन.

महोदय/महोदया,

आयोग में सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत योजित विभिन्न द्वितीय अपीलों तथा शिकायतों की सुनवाई के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि कई लोक सूचना अधिकारियों द्वारा सूचना आवेदनकर्ताओं को सूचना प्रदान करने / अनुरोध अस्वीकार करने; अतिरिक्त शुल्क की मांग करने अथवा तृतीय पक्ष की सूचना को देने / अस्वीकार करने के संबंध में प्रेषित किये जाने वाले पत्रों में अतिरिक्त शुल्क की गणना के आधार/अनुरोध अस्वीकृति के विरूद्ध अपील करने के लिए विभागीय अपीलीय अधिकारी का नाम व पता वर्णित नहीं किये जाते हैं जिसके अभाव में आवेदनकर्ताओं को भ्रम की स्थित बनी रहती है तथा उनके द्वारा आयोग को सीधे ही द्वितीय अपील की जाती है.

2. सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 7(3)(ख) के अंतर्गत लोक सूचना अधिकारी का यह कर्तव्य है कि अतिरिक्त शुल्क की मांग करने विषयक पत्राचार करते समय उनके द्वारा आवेदनकर्ता को ऐसे

अतिरिक्त शुल्क की गणना का आधार; वह अवधि जिसके भीतर ऐसी गणना की रिव्यू की जा सकती हो तथा विभागीय अपीलीय अधिकारी के नाम व पते का सम्पूर्ण विवरण भी पत्र में उल्लिखित किया जाये.

3. इसी प्रकार सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 7(8) के अंतर्गत लोक सूचना अधिकारी का यह कर्तव्य है कि सूचना अनुरोध अस्वीकार करने की स्थिति में लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना आवेदनकर्ताओं को ऐसी अस्वीकृति के कारण; वह अवधि जिसके भीतर ऐसी अस्वीकृति के विरूद्ध अपील की जा सकती हो तथा विभागीय अपीलीय अधिकारी के नाम व पते का सम्पूर्ण विवरण भी पत्र में उल्लिखित किया जाये.

4. सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत लोक सूचना अधिकारी का यह भी कर्तव्य है कि तृतीय पक्ष की सूचना के संबंध में जो निर्णय उनके द्वारा धारा 11(3) के अंतर्गत लिया गया, के सम्बन्ध में तृतीय पक्ष को सूचित करेंगे कि उक्त निर्णय के विरूद्ध वे धारा 19 के अन्तर्गत 30 दिन की अवधि में अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकते हैं।

5. समस्त लोक प्राधिकारी कृपया अपने अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारियों को इस संबंध में यथोचित रूप से निर्देशित करना सुनिश्चित करें जिससे अधिनियम के प्रावधानों का समुचित रूप से अनुपालन सुनिश्चित हो सके.

(एन. एस. नपलच्याल)
मुख्य सूचना आयुक्त